अध्याय : 8

राजकीय प्रयत्न और सुविधाओं की प्राप्ति

राजकीय प्रयत्न और सुविधाओं की प्राप्ति

मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण जीवन के प्रारम्भिक चरण में ही होता है। अतएव किसी भी राष्ट्र का शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य बच्चों की प्रारम्भिक अवस्थओं में होने वाले विकास पर निर्भर होता है।[1] बहुत से देशों की सरकारें बच्चों को भविष्य की पूँजी और उनके विकास–कार्य{म को सामाजिक प्रगति की बुनियाद मानने लगी हैं। बचपन में ही मृत्यु या अस्वस्थता से देश के मानवीय संसाधनों में काफी कमी हो सकती है, और यह आर्थिक प्रगति के लाभों को प्रभावहीन कर सकती है।[2] भविष्य के नागरिक होने के नाते बालकों को स्वास्थ्य, पोषाहार, शिक्षा और मनोरंजन की आधारभूत सेवाएँ अधिकार–स्वरूप मिलनी चाहिए। परम्परा से बालकों के पालन–पोषण का दायित्व परिवार पर रहा है। लेकिन कलयाणकारी राज्यों के उदय से यह दायित्व परिवार के अतिरिक्त राज्य एवं अन्य सामाजिक संगठनों में भी निहित होता गया है।

---

1 भारत सरकारः समाज कल्याण तथा पिछड़ा वर्ग अध्ययन की रिपोर्ट, पृ. 115.

2 नान्सी एल. सदका (यूनिसेफ): समेकित बालविकास सेवाएँ, पृ. 8.

राष्ट्रीय जीवन में बालकों के महत्व को ध्यान में रखते हुए कई देशों में तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बालकों के विकास और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

बालकों के समक्ष आज अनेक समस्याएँ विद्यमान हैं।[1] इनमें स्वास्थ्य और पोषाहार बालकों की जीवन–रक्षा से सम्बन्धित है। भारत जैसे गरीब देशों में बालकों को स्वास्थ्य एवं पोषण–सम्बन्धी जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ आधुनिक आर्थिक तथा स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के बावजूद शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक है। साधारण शारीरिक ओर मानसिक अस्वस्थता के कारण देश में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का विकास खतरे में हैं। इसके साथ ही संरक्षण की समस्या भी विकट है। बहुत से परिवारों में बच्चों का जीवन उपेक्षित है, बहुत से बच्चों का कोई संरक्षक नहीं होता। संरक्षण के अभाव में उनका समुचित विकास नहीं हो पाता। शिक्षा की समस्या भी विकट है। सरकारी एवं गैर सरकारी विभिन्न प्रयासों के बावजूद कई बच्चे अभी भी शिक्षा ग्रहण करने से वंचित हैं। अनेक बालक नामांकन के बाद विद्यालय छोड़ देते हैं। मनोरंजन की समस्या भी विकट है। बच्चों के सही लालन–पालन और विकास के लिए मनोरंजन आवश्यक है। परन्तु भारत में जनसंख्या का एक

---

1 श्रीधर पाण्डेयः श्रम समस्याएँ और समाज कल्याण, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1996, पृ. 747–749.

बड़ा भाग निर्धनता से ग्रस्त है। उनसे बालकों के स्वास्थ्यप्रद मनोरंजन की आशा करना ही व्यर्थ है। देश में सार्वजनिक क्रीड़ा–स्थलों तथा मनोरंजन सम्बन्धी सेवाओं की व्यापक कमी है। समुचित मनोरंजन के अभाव में उनका शारीरिक और मानसिक विकास अवरूद्ध हो जाता है। बाल श्रमिकों के मनोरंजन की समस्या और भी गम्भीर है।

राष्ट्र का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश के बालकों के विकास उनके आरम्भिक वर्षों में किस प्रकार हुआ है। इन्हीं कारणों से विश्व के सभी विकसित देशों में बालकों के कल्याण एवं उनके हितों की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कई देशों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था है। भारत जैसे निर्धन एवं अविकसित देश के लिए बालकों के कल्याण का विशेष महत्व है। देश की आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रगति के लिए बालकों के हितों की रक्षा करना तथा उनकी सुख–समृद्धि के लिए ठोस कदम उठाना अति आवश्यक है।

भारतीय संविधान में बालकों के कल्याण से सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण उपबंध हैं। उनके कल्याण के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों तथा ऐच्छिक अभिकरणों द्वारा कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते रहे हैं। इस क्षेत्र में स्वतंत्रता–प्राप्ति के बाद, विशेषकर केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना के समय से,

विशेष कदम उठाए गए हैं। सरकारी अभिकरणों के अतिरिक्त कई अन्तरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं स्थानीय ऐच्छिक अभिकरण भी बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत हैं।

संविधान के अधीन धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर राज्य द्वारा नागरिकों के बीच भेदभाव करने की मनाही की गई है, लेकिन राज्य बालकों और महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। मूल अधिकार से संबद्ध उपबंध के अन्तर्गत कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक को कारखाना या अन्य संकटपूर्ण नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। राज्य–नीति के निदेशक सिद्धान्तों में कहा गया है कि सरकार ऐसी नीति का निर्देशन करेगी कि बालकों की कोमल उम्र का दुरुपयोग न हो, उन्हें स्वतंत्रता और गरिमा की दशाओं में स्वस्थ ढंग से विकसित होने के अवसर और सुविधाएँ मिल सकें तथा उनकी बाल्यावस्था या युवावस्था शोषण और नैतिक एवं भौतिक परित्याग से रक्षित रह सके। संविधान में उसके लागू होने के 10 साल के अन्दर 14 वर्ष से कम उम्र के सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

संविधान के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, देश में बालकों की शिक्षा के लिए व्यापक कदम उठाए गए हैं, जैसे – विद्यालयों की स्थापना, शिक्षकों की नियुक्ति, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की

व्यापक व्यवस्था, पुस्तकों एवं पठन–सामग्रियों का वितरण, विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था, छात्रवृत्ति उपलभ्यता, यातायात सुविधा तथा संचार माध्यमों, जैसे – रेडियो, टेलीविजन पर बच्चों की शिक्षा से संबद्ध विशेष कार्यक्रम।

बाल श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न अधिनियमों के तहत उन्हें सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान किये गये हैं। इसके अन्तर्गत उनके कार्य का अधिकतम दैनिक एवं साप्ताहिक घंटों, विश्राम–अंतराल, साप्ताहिक अवकाश, कल्याणकारी सुविधाओं, रात्रि–कार्य पर रोक, खतरनाक कामों पर उनके नियोजन पर प्रतिबंध, अनिवार्य स्वास्थ्य जाँ, सवेतन वार्षिक छुट्टी आदि को विनियमित किया गया है, जिससे उनके हितों की रक्षा हो सके। कई उद्योगों में तथा राज्य सरकारों द्वारा श्रम कल्याण निधियों की स्थापना की गई है, जिनसे बाल श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

क्या बालकों को सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी है?

उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त की गयी कि क्या आपको सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी हैं? प्राप्त जानकारी को निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या – 8.1

क्या आपको सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी है

जानकारी है	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	135	45.00
नहीं	165	55.00
योग	**300**	**100.00**

सारणी संख्या – 8.1 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 45.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उनको सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी है तथा 55.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उनको सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी नहीं है।

अतः स्पष्ट है कि अधिकांश (55.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार उनको सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी नहीं है।

क्या आपको बाल श्रम के सम्बन्ध में बने कानूनों के विषय में जानकारी है?

उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त की गयी कि क्या आपको बाल श्रम के सम्बन्ध में बने कानूनों के विषय में जानकारी है? प्राप्त जानकारी को निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या – 8.2

क्या आपको बाल श्रम के सम्बन्ध में बने कानूनों के विषय में जानकारी है

जानकारी है	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	126	42.00
नहीं	174	58.00
योग	**300**	**100.00**

सारणी संख्या – 8.2 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 42.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उनको बाल श्रम के सम्बन्ध में बने कानूनों के विषय में जानकारी है तथा 58.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उनको बाल श्रम के सम्बन्ध में बने कानूनों के विषय में जानकारी नहीं है।

अतः स्पष्ट है कि अधिकांश (58.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार उनको बाल श्रम के सम्बन्ध में बने कानूनों के विषय में जानकारी नहीं है।

क्या आपको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हुई है?

उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त की गयी कि क्या आपको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हुई है? प्राप्त जानकारी को निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या – 8.3

क्या आपको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हुई है

निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हुई है	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	15	5.00
नहीं	285	95.00
योग	**300**	**100.00**

सारणी संख्या – 8.3 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 95.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उनको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है तथा 5.00 प्रतिशत ऐसे उत्तरदाता हैं जिनको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हुई है।

अतः स्पष्ट है कि अधिकांश (95.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार उनको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है।

क्या आपने रोगों से बचाव के टीके लगवाए हैं?

उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त की गयी कि क्या आपने रोगों से बचाव के टीके लगवाए हैं? प्राप्त जानकारी को निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या – 8.4

क्या आपने रोगों से बचाव के टीके लगवाए हैं

टीके लगवाये है	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	129	43.00
नहीं	171	57.00
योग	**300**	**100.00**

सारणी संख्या – 8.4 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 43.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उन्होंने रोगों से बचाव के टीके लगवाए हैं तथा 57.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उन्होंने रोगों से बचाव के टीके नहीं लगवाए हैं।

अतः स्पष्ट है कि अधिकांश (57.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार उन्होंने रोगों से बचाव के टीके नहीं लगवाए हैं।

क्या आप अपने स्वास्थ्य की नियमित जाँच करवाते हैं?

उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त की गयी कि क्या आप अपने स्वास्थ्य की नियमित जाँच करवाते हैं? प्राप्त जानकारी को निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या – 8.5

क्या आप अपने स्वास्थ्य की नियमित जाँच करवाते हैं

जाँच करवाते है	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	36	12.00
नहीं	264	88.00
योग	**300**	**100.00**

सारणी संख्या – 8.5 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 12.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार वे अपने स्वास्थ्य की नियमित जाँच करवाते हैं तथा 88.00 प्रतिशत उत्तरदाता कभी भी अपने स्वास्थ्य की नियमित जाँच नहीं करवाते हैं।

अतः स्पष्ट है कि अधिकांश (88.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार वे अपने स्वास्थ की नियमित जाँच नहीं करवाते हैं।

क्या आपको श्रम छोड़कर शिक्षा के लिए कभी किसी व्यक्ति या संस्था ने प्रेरित किया है?

उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त की गयी कि क्या आपको श्रम छोड़कर शिक्षा के लिए कभी किसी व्यक्ति या संस्था ने प्रेरित किया है? प्राप्त जानकारी को निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या – 8.6

क्या आपको श्रम छोड़कर शिक्षा के लिए कभी किसी व्यक्ति या संस्था ने प्रेरित किया है

प्रेरित किया है	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	42	14.00
नहीं	258	86.00
योग	**300**	**100.00**

सारणी संख्या – 8.6 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 14.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार श्रम छोड़कर शिक्षा के लिए कभी किसी व्यक्ति या संस्था ने प्रेरित किया है तथा 86.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार श्रम छोड़कर शिक्षा के लिए कभी किसी व्यक्ति या संस्था ने प्रेरित किया नहीं है।

अतः स्पष्ट है कि अधिकांश (86.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार श्रम छोड़कर शिक्षा के लिए कभी किसी व्यक्ति या संस्था ने प्रेरित नहीं किया है।

क्या आपने अपने श्रम के विषय में कभी किसी से शिकायत की है?

उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त की गयी कि क्या आपने अपने श्रम के विषय में कभी किसी से शिकायत की है? प्राप्त जानकारी को निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या – 8.7

क्या आपने अपने श्रम के विषय में कभी किसी से शिकायत की है

शिकायत की है	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	60	20.00
नहीं	240	80.00
योग	**300**	**100.00**

सारणी संख्या – 8.7 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 20.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उन्होंने अपने श्रम के विषय में शिकायत की है तथा 80.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं उन्होंने अपने श्रम के विषय में कभी किसी से भी शिकायत नहीं की है।

अतः स्पष्ट है कि अधिकांश (80.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार उन्होंने अपने श्रम के विषय में कभी किसी से भी शिकायत नहीं की है।